# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,

1-तिलक मार्ग, लखनऊ।

पत्र संख्या:-डीजी-परिपत्र सं० 49/2014 दिनांक:लखनऊ:जुलाई 27 2014

सेवा में,

**समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
उत्तर प्रदेश ।

विषय: अपहरण एवं व्यपहरण के प्रकरणों में विवेचकों द्वारा अपहृत/अपहृता के बरामद किये बिना आरोप पत्र/अन्तिम आख्या मा0 न्यायालय में प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में ।

.....

उपर्युक्त विषयक इस मुख्यालय के परिपत्र दिनांक 22.07.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अपहरण/व्यपहरण के प्रकरणों में बिना अपहृत/अपहृता को बरामद किये आरोप पत्र/अन्तिम आख्या मा0 न्यायालयों में बिना साक्ष्य एकत्र किये प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में है।

2. इस सम्बन्ध में मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्तर से परिपत्रों के माध्यम से आप सभी को पूर्व में दिशा-निर्देश जारी किये गये है परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जनपदों द्वारा इस मुख्यालय से दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन नही किया जा रहा है यह स्थिति विधिक दृष्टि से उचित नहीं है ।

3. अत: आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि अपहरण एवं व्यपहरण के प्रकरणों में विवेचकों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि अपहृत/अपहृता की बरामदगी के बिना आरोप पत्र/अन्तिम आख्या मा0 न्यायालय में प्रेषित न किये जाएं। इन निर्देशों का पालन न करने वाले कर्मियों पर कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

(ए0एल0 बनर्जी)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

....